



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 08.06.2026

थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना मंगलपुर पर दिनांक 22.05.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 14 वर्ष को अभियुक्त विशाल बाबू द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 130/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम 1. विशाल पुत्र सुरेश बाल्मीकि निवासी ग्राम फिरोजापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन व अपहृता के बयानों अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस के आधार पर धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विशाल बाबू उपरोक्त को दिनांक 08.06.2026 को बिरहाना ओवर ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम, पता-

1. विशाल बाबू पुत्र सुरेशचन्द्र बाल्मीकि उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम फिरोजापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मिश्रा
2. कां0 321 अविनाश शर्मा
3. कां0961 दीपक खारी
4. रि0म0का0 1385 अंशू राजपूत